न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/128/2025   दायर दिनांक 29.08.2025   रजि० न० 2025/333

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री लालाराम सैनी नि० मौहल्ला अखैपुरा राजपूत छात्रावास के पीछे, अलवर–301001	लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव यूआईटी जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 21.07.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी का जवाब पत्र राजकाज रेफरेंस नं 17700531 दिनांक 15.09.2025 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/प्रतिलिपी संबंधित शाखा में रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उक्त रो रांबंधित पत्रावली की गहनता से तलाश की जा रही है जिसके उपलब्ध होने पर प्रगाणित सूचना से नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।
6. तथापि प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का विनिश्चय कर संसूचित नही किया गया है बल्कि चाही गई सूचना के संबंध में रिकॉर्ड तलाश कर उपलब्ध कराने हेतू इस न्यायालय गें पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र गें डिरपेच नं० भी अंकित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है। अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड तलाश कर अपीलार्थी को 15 दिवस में पंजीकृत पत्र के गाध्यग से निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक 23.09.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय गें सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)